

लत उपखण्ड अधिकारी मुकाम हिण्डौन सिटी .....बनाम.....

कदमा .....नं० .....सन्.....

म	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियलरा जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
---	-----------------------------------	--

21 पत्रावली पेश हुई। सायल वकील उपस्थित  
सायल वकील ने अनुरोध किया कि सायल  
अव प्रकरण आगे नहीं चलाया जाय।  
नया प्रकरण नोटिस में स्वीकृत करना चाह  
ते हैं।

Not Press  
कोर्ट नम्बर  
प-1.  
कृष्ण मोहन धर्मा (एड.)

अतः प्रकरण क्रमांक 93/1919 प्रथम  
पत्र उजानी बनाम अदारी नोटिस में  
स्वीकृत किया जाता है। पत्रावली क्रमांक  
शुमार होकर नम्बर से कम है।

उपखण्ड अधिकारी  
हिण्डौन सिटी

